

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (वाई-1256/13)(लिक नं. 10522)/अलेसे-11/2419-2429 दिनांक :- 30.1.28

कार्यालय आदेश

श्री योगेशचन्द्र श्रीमाली (लिक नं. 10522) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, सागवाडा, जिला डूंगरपुर जिनकी जन्म तिथि 04.07.1983 है, का दिनांक 01.01.2025 को निधन हो जाने कारण इन्हें दिनांक 01.01.2025 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि स्व. श्री योगेशचन्द्र श्रीमाली (लिक नं. 10522) कनिष्ठ लेखाकार (कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, सागवाडा, जिला डूंगरपुर) के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (वाई-1256/13)(लिक नं. 10522)/अलेसे-11/2419-2429 दिनांक :- 30.1.28
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय
3. कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, सागवाडा, जिला डूंगरपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि यदि स्व. श्री योगेशचन्द्र श्रीमाली (लिक नं. 10522) कनिष्ठ लेखाकार के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करावे।
4. कोषाधिकारी, डूंगरपुर।
5. श्रीमती कलावती श्रीमाली माता स्व. श्री योगेश चन्द्र श्रीमाली दिवडाबडा गलियाकोट, डूंगरपुर को प्रेषित लेख है यदि आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र आवेदन पत्र रूप कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, सागवाडा, जिला डूंगरपुर के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करावें।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा।


(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)